उ०प्र० परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाषःपी.बी.एक्स. 2622363, 2627111
फैक्सः 0522-2615526, 2628841, 26235786

बस संचालक एवं निवेशको के लिये निगम में साधारण अनुबन्धित–2016 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

निविदा प्राप्त किये जाने एवं जमा करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है–

1. **निवेशक द्वारा आवेदन पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/निगम मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं, डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य डिमाण्ड ड्राफट के रूप में जमा किया जायेगा।**
2. आवेदन पत्र शुल्क रू. 5,250/– तथा प्रतिभूति धनराशि के साथ आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में **दिनांक 15.07.2016 तक जमा करायी जा सकती है।**
3. एक आवेदन पत्र में एक से अधिक बसों का आवेदन कर सकता है। प्रति बस आवेदन कर्ता को रू0 25000/– प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।
4. बस स्वामी अपने प्रस्ताव में उपलब्ध मार्गों की सूची से प्राथमिकता के क्रम में आवेदन कर सकता है एवं सूची के अतिरिक्त अन्य मार्ग भी अपने विवेक से भर सकता है, जो कि सूची में न हो। अधिक बसों हेतु मार्गों का विकल्प देने के लिये अतिरिक्त पेपर शीट लगाकर मार्गों का अंकन कर सकता है।

   बस स्वामी की बस का मार्ग का आवंटन उसके द्वारा दी गयी प्राथमिकता एवं मार्गों में उपलब्ध रिक्तियों के क्रम से किया जायेगा। यथा पहली प्राथमिकता के मार्ग की रिक्ति समाप्त होने पर द्वितीय प्राथमिकता के मार्ग का आवंटन किया जायेगा। इसी प्रकार आगे प्राथमिकता के क्रम में मार्ग आवंटन किया जायेगा।
5. 05 अथवा 05 से अधिक बस अनुबन्ध कराने वाले आवेदकों को मार्ग आंबटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
6. जिस आवेदक को मार्ग आंबटन नहीं किया जा सकेगा उसे प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।
7. बस स्वामी 02 प्रकार की बसों हेतु आवेदन दे सकता है। 40 सीट तथा 52 सीट बस।

   अ– 40 सीट के तकनीकी मानक

   * बस की लम्बाई (length) न्यूनतम् 8.50 मीटर।
   * बस की चौड़ाई (width) न्यूनतम 2200 मिलीमीटर।
   * इंजन क्षमता– न्यूनतम 90 हार्सपावर।
   * **सीट लेआऊट–** (2x2) 40 यात्री सीट बस। इसके अतिरिक्त एक चालक सीट। बस की सीट के सम्बन्ध में लेआउट एवं डाइमेन्सन निर्धारित बस कोड के अनुसार होने चाहिए। बाडी सम्बन्धी अन्य मानक बस कोड लागू होने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

   ब– 52 सीट

   * बस की लम्बाई (length) न्यूनतम् 9.40 मीटर।
   * बस की चौड़ाई (width) 2500 मिलीमीटर।
   * इंजन क्षमता– न्यूनतम 120 हार्सपावर।
   * **सीट लेआऊट–** (3x2) 52 यात्री सीट। इसके अतिरिक्त एक चालक सीट। बस का सीट लेआउट एवं डाइमेन्सन निर्धारित बस कोड के अनुसार होने चाहिए। बाडी सम्बन्धी अन्य मानक बस कोड लागू होने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

बस बॉडी का रंग **उत्तर प्रदेश परिवहन निगम** की बसों के समान रहेगा एवं साधारण बसों के समान लोगो सहित **उत्तर प्रदेश परिवहन निगम** दोनों साईड, आगे एवं पृष्ठ पर लिखा होना चाहिये।

इस योजना में अनुबन्ध के समय बस की आयु पंजीयन तिथि से अधिकतम 05 वर्ष होनी चाहिये। पूर्व में क्रय एवं संचालित बसों की निर्धारित सीट क्षमता 40 अथवा 40 सीट से अधिक तथा 52 एवं 52 सीट से अधिक अनुमन्य होगी।

8. **भुगतान की प्रक्रिया :–**

Downloaded from www.upsrtc.com

बस स्वामी को पाक्षिक आधार पर भुगतान किया जाता है, जिसकी तालिका निम्नवत है :–

तालिका – ए

सीट क्षमता	40 सीट	52 सीट
सामान्य मार्ग	6.72	7.72
विशेष मार्ग	7.72	9.09

उपरोक्त भुगतान दरों में निर्धारित डीजल मानक के अनुसार भुगतान को उपरोक्त भुगतान में जोड़ते हुये बस स्वामी को प्रति किमी0 कुल भुगतान किया जायेगा।

9. **नई क्रय की गयी बसों को 03 वर्ष तक भुगतान दर में निम्नवत् प्रोत्साहन राशि जोड़ते हुये भुगतान किया जायेगा।**

क्र.सं.	नई अनुबन्धित बस की आयु	प्रोत्साहन भुगतान प्रति कि.मी.
1	नई बस–01 वर्ष तक	100 पैसे
2	01 वर्ष से अधिक व 02 वर्ष तक	85 पैसे
3	02 वर्ष से अधिक व 03 वर्ष तक	70 पैसा

प्रशासनिक दरें :–

बस की सीट क्षमता	प्रशासनिक शुल्क की दर (रू. प्रति कि.मी.)
52 सीट	4.50
40 सीट	4.00

10. बस स्वामी को भुगतान एवं प्रोत्साहन धनराशि की गणना निगम में पूर्व में प्रचलित साधारण अनुबन्धित बस योजना के समान की जायेगी तथा यह गणना प्रक्रिया साधाराण अनुबन्धित बस योजना 2016 में समान रूप से लागू होगी। साधारण बसों के समान ही इस योजना में बस स्वामी को देय प्रोत्साहन धनराशि की गणना बस के द्विमासिक आय व्यय के आंकलन के आधार पर की जायेगी।

11 साधारण अनुबन्धित बस की आयु 05 वर्ष से अधिक होने पर 60 पैसे प्रति कि.मी. बस स्वामी के भुगतान मे कमी की जायेगी।

12 साधारण अनुबन्धित बस योजना 2016 के लिए उपरोक्त प्राविधानों के अतिरिक्त अन्य समस्त नियम एवं शर्तें पूर्व से संचालित साधारण अनुबन्धित बस योजना के समान लागू रहेगी।

(एच॰ एस॰ गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

पत्रांक 2214(1) /16–12 रो/पी.बी./06–खण्ड–04 दिनांक 30 जून,: 2016

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम।
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो/वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम।
3. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ की उक्त परिपत्र को निगम वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
प्रधान प्रबन्धक(वा0 एवं वि0)

Downloaded from www.upsrtc.com